पंजीकृत

प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में

हरियाणा राज्य में स्थित राजकीय
महाविद्यालयों के सभी प्राचार्य

यादी क्रमांक 1/3-2016 एम0ई0 (1)
दिनांक, पंचकूला 17-12-2020

विषयः- **लिपिक के पद पर पदोन्नति बारे।**

*****

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध लिपिक के पदों को चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों में से जिन्होंने 10+2 की परीक्षा पास कर ली है, पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। "आपसे अनुरोध है कि (ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनका नियमित आधार पर अनुभव पांच वर्ष हो, के पदोन्नति मामले निम्न सेवारिकार्ड/दस्तावेजों सहित/दिनांक 31.12.2020 तक हर अवस्था में भेजें:-

1. सेवा पंजी
2. निजि मिसल पूर्ण रूप में (अन्तिम दस वर्षो की वा0गो0रि0 समरी सीट सहित)
3. कर्मचारी के विरूद्ध कोई जांच/शिकायत लम्बित न होने एवं सत्यनिष्ठा के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी न होने बारे प्रमाण पत्र।
4. कर्मचारी के योग्यता प्रमाण प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां।
5. पांच वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र।
6. मामले में चतुर्थ् श्रेणी कर्मचारी जो वर्ष 2014 में Regularization Policy के तहत Regular हुए थे उन सभी कर्मचारियों का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Yogesh Tayagi Vs. State) में विचारधीन है, उन कर्मचारियों को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों जिन्होने दिनांक 30.11.2020 तक लिपिक के पद पर पर पदोन्नति हेतु योग्यता पुरी की हो (सेवा नियमों अनुसार जिसका वेतन लिपिक के बराबर है और उत्तरदायित्त्व कम है) के केस लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु भिजवा दिए जाए।

कृप्या यह सुनिशिचत कर लिया जाये कि कोई मामला अपूर्ण न हो। यदि निर्धारित अवधि में कर्मचारियों के पदोन्नति मामले प्राप्त नहीं हुए तो आपकी सूचना शून्य समझ ली जायेगी। यदि बाद में कोई केस भेजा गया जो उस बारे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कृप्या इसे उच्च प्राथमिकता दें।

सहायक निदेशक एम0 ई0
कृतेः महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।